

क्रमांक/नि.वि.1/समूह-2/आहरण संवितरण/डी-3006
प्रति,

दिनांक 18 .03.2020

1 जिला कोषालय अधिकारी
सागर

यह प्राधिकार केवल दिनांक : 28.02.2021 तक
वैध है इसके पश्चात् जारी किये गये चैक का
भुगतान न करें ।

2 प्रबंधक
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
सिविल लाईन
सागर

विषय - आहरण एवं संवितरण अधिकार ।

संदर्भ - मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग कं 1941/99/सी/चार दिनांक 21.10.1999

महोदय,

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र कं 1941/99/सी/चार, दिनांक 21.10.1999 के प्रावधानों के अनुरूप परियोजना संचालक बीना परियोजना प्रबंधन इकाई सागर के अधीन परियोजना प्रशासक (कार्यपालन यंत्री) बीना परियोजना प्रबंधन इकाई सागर (म.प्र.)को अपने कार्यालय के स्थापना के लिए कोषालय के माध्यम से देयक द्वारा एवं निर्माण कार्यों के लिए, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त साख पत्र में निहित सीमा तक चैक के माध्यम से कोषालय/बैंक से आहरण करने हेतु दिनांक 28.02.2021 तक प्राधिकृत किया जाता है ।




वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

क्रमांक/नि.वि.1/ समूह-2/आहरण संवितरण/डी-3007

दिनांक 18 .03.2020

प्रतिलिपि -

- 1) मुख्य अभियंता, धसान केन कछर, जल संसाधन विभाग, सागर (म.प्र.)
- 2) संचालक कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल ।
- 3) परियोजना प्रशासक (कार्यपालन यंत्री) बीना परियोजना प्रबंधन इकाई सागर (म.प्र.)



वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1